प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

अनुस्मारक / महत्वपूर्ण

संख्या : प्रोरासिविवि / कुसका / 2021–274

दिनांक 22 अगस्त, 2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक,
समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ0प्र0।

विषयः **रिट याचिका संख्या–61859/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन किए जान के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–पी0आर0एस0यू0 / सम्वद्धता / 2021–237 दिनांक 13 अगस्त, 2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों / विषयों में अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों व प्रबन्धक के संयुक्त शपथ–पत्र उपलब्ध कराए जाने तथा विद्यार्थियों के प्रवेश उसी दशा में किए जायें जबकि महाविद्यालयी सम्बद्धता सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्राप्त हो। विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में लगभग नगण्य संख्या में महाविद्यालयों द्वारा सूचनाएं / अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकतम महाविद्यालयों द्वारा सूचनाएं / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

अतः विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 13.08.2021 के अनुसार आप अपने से सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान से सम्बन्धित सभी पाठ्यक्रमों / विषयों की सम्बद्धता आदेश की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि तथा महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों / विषयों में विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत् शिक्षकों के विषय में, जैसा कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.08.2021 में वर्णित है, शपथ–पत्र कुल सचिव की ई–मेल registrar@prsuniv.ac.in पर दिनांक 31.08.2021 तक आवश्यक रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय आपके महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्ध लगाए जाने के विकल्प पर विचार करने हेतु बाध्य होगा। जिसके लिए महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र एवं महाविद्यालय प्रशासन सूचना भेजने में उदासीनता के कारण स्वमेव ही दायित्वाधीन होगा। आशा है कि आप नई शिक्षा नीति के समग्र क्रियान्वयन में अपना योगदान करते हुए उक्त सूचनाएं दिनांक 31.08.2021 तक उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

(एस0के0 शुक्ल) 22/08/21
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–1), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव। 22/08/21

Scanned by CamScanner

एस0 के0 शुक्ल
कुलसचिव

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
प्रयागराज (उ0 प्र0) भारत
ई-मेल: registrarasu@gmail.com

समय बद्ध

संख्या : पीआरएसयूए/सम्बद्धता/2021-237

दिनांक : ~~16~~ 13 अगस्त 2021

सेवा में,

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय
से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के
प्रबन्धक / प्राचार्य

विषय : रिट याचिका संख्या 61859/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त अंकित रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-12-2012 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल 2013 में निर्देशित किया गया है कि महाविद्यालय को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से अर्हताकारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात हों। यदि किसी महाविद्यालय में मानक के अनुसार अर्हताधारी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है तो उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

उक्त क्रम में समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों के अनुमोदन एवं तैनाती के सम्बन्ध में समुचित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिन संस्थाओं में शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात नहीं हैं उन संस्थाओं की सम्बद्धता बाधित होगी।

3. जिन संस्थाओं में विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षक तैनात हैं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि 18 अगस्त 2021 तक प्रत्येक शिक्षक से निम्नलिखित प्रारूप पर रुपया 10/- (रुपया दस मात्र) के नान-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्रबन्धक व शिक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर व दोनों के फोटोयुक्त एक शपथ पत्र उपलब्ध करायें।

प्रारूप

मैं ------------------------------(शिक्षक का नाम)
वर्ष----------------------से-----------------------
---------------------(महाविद्यालय का नाम) में------------------(पद नाम) के रूप में नियमित रूप से कार्यरत् हूँ तथा मुझे प्रतिमाह रु0 ------------वेतन महाविद्यालय द्वारा मेरे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

हस्ताक्षर

तिथि :

शिक्षक का नाम :

पदनाम

मोबाइल नम्बर :

Scanned by CamScanner

मैं ---------------------(नाम) प्रवन्धक -- (महाविद्यालय का नाम) सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णतया सत्य हैं।

हस्ताक्षर

प्रबन्धक का नाम -

मोवाइल नम्वर -

ई-मेल आई.डी. -

4. जिन महाविद्यालयों से दिनांक 18 अगस्त 2020 तक महाविद्यालय में कार्यरत उक्त समस्त शिक्षकों से शपथ पत्र प्राप्त नहीं होंगे उन महाविद्यालयों में प्रवेश प्रतिबन्धित करने पर तथा सम्बद्धता समाप्त करने के सम्वन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. विश्वविद्यालय के समक्ष ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें बिना सम्वद्धता के महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश लिया गया। यह कार्य अवैध है। अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश उसी दशा में लिया जाये जवकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 के अनुसार महाविद्यालय को पाठ्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालय से सम्वद्धता प्राप्त हो।

6. यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी महाविद्यालय अपने लैटर पैड पर प्रवन्धक तथा प्राचार्य के अद्यतन् मोवाइल नम्वर, ई-मेल आई.डी. तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का एड्रेस आवश्यक रूप से अंकित करायें।

उक्त पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि।

(एस.के. शुक्ल)
कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/राज्य विश्वविद्यालयों के माननीय कुलाधिपति राज भवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-6) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-2) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को शासन के पत्र संख्या 522/सत्तर - 2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 के अनुपालन में।
4. विशेप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-1) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, कुलपति जी।
7. गार्ड फाइल।

(एस.के. शुक्ल)
कुल सचिव

Scanned by CamScanner